राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या – 1146/2011/सिरोही.

वाणिज्यिक कर अधिकारी, सिरोही. .....अपीलार्थी.

बनाम

मैसर्स महावीर ऑटोमोबाइल्स, स्वरूपगंज. .....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ

श्री के. एल. जैन, सदस्य

उपस्थित ::

श्री डी.पी.ओझा, उप–राजकीय अभिभाषक .....अपीलार्थी की ओर से.

प्रत्यर्थी व्यवहारी बावजूद सूचना अनुपस्थित।

निर्णय दिनांक : 20/06/2018

निर्णय

1. अपीलार्थी राजस्व द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) जोधपुर द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 71/आरवेट/सिरोही/09–10 में राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 82 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.01.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–सिरोही (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा प्रत्यर्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि 2007–08 के लिये वेट अधिनियम की धारा 24 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 27.11.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को आंशिक रूप से स्वीकार किया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी व्यवहारी के कर निर्धारण वर्ष 2007–08 के कर निर्धारण आदेश दिनांक 27.11.2009 में त्रैमासिक बिक्री विवरण प्रपत्र विलम्ब से पेश करने के आधार पर रूपये 22,112/– की शास्ति आरोपित की गई थी, परन्तु अपीलीय अधिकारी द्वारा व्यवहारी के मासिक करदाता नहीं होने के कारण वेट अधिनियम की धारा 58 के तहत आरोपित शास्ति के प्रावधान अनुसार प्रत्येक तिमाही में अधिकतम रूपये 500/– की शास्ति ही आरोपणीय मानते हुए कुल शास्ति रूपये 22,112/– में से रूपये 20,112/– कम करते हुए रूपये 2000/– की शास्ति आरोपित की गई, जिसके विरूद्ध राजस्व द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गयी है।

3. बावजूद सूचना प्रत्यर्थी व्यवहारी की ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ, अतः राजस्व की ओर से विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी। विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक ने कर निर्धारण आदेश का समर्थन करते हुए राजस्व की अपील स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

लगातार.....2

4. विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकॉर्ड का अवलोकन किया गया।

5. अपीलीय आदेश के अवलोकन पर यह पाया कि वर्ष 2007–08 के कर निर्धारण के मामलों में वेट अधिनियम की धारा 58 के तत्समय प्रचलित प्रावधान अनुसार अधिकतम शास्ति प्रत्येक तिमाही के लिये रूपये 500/– ही आरोपित की जा सकती थी, ऐसी स्थिति में प्रत्यर्थी व्यवहारी के मासिक करदाता नहीं होने से वेट अधिनियम की धारा 58(2) के प्रावधान अनुसार अधिकतम शास्ति रूपये 500/– की पुष्टि किये जाने में अपीलीय अधिकारी ने कोई त्रुटि नहीं की है।

6. परिणामस्वरूप अपीलार्थी राजस्व की अपील अस्वीकार की जाती है एवं अपीलीय आदेश दिनांक 31.01.2011 की पुष्टि की जाती है।

7. निर्णय सुनाया गया।

(के. एल. जैन)
सदस्य